न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 12/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
1 दलाराम पुत्र भभूताजी 2 सोहनलाल पुत्र भभूताजी जातिगण मीणा निवासीगण कुकडी खेड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही		1 खीमीबाई पत्नी नरसाजी 2 गंगा पुत्री नरसाजी 3 फुली पत्नी चौपाजी 4 पुनाराम पुत्र चौपाजी 5 हेमाराम पुत्र चौपाजी 6 नेतीराम पुत्र चौपाजी जातिगण मीणा निवासीगण कुकड़ी खेड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही 7 जमना पत्नी फुलाराम पुत्री चौपाजी जाति मीणा निवासी ध्रबाणा तहसील शिवगंज जिला सिरोही 8 सुगना पत्नी रामाराम पुत्री चौपाजी जाति मीणा निवासी मोइला भाकरी बड़गांव तहसील शिवगंज 9 पकूबाई पत्नी पकाराम पुत्री चौपाजी जाति मीणा निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही 10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-
श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री दलपतराज, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

-: निर्णय :-

दिनांक:- 27/2/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2013 बअनवान चौपा बनाम दला में पारित आदेश दिनांक 14.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि ग्राम कुकड़ी खेड़ा के खसरा नम्बर 28/126 रकबा 24.06 बीघा तथा खसरा नम्बर 28/75 रकबा 1.00 बीघा की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि में अपना हिस्से जाहिर करते हुए अपने हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट्स को बेचान हस्तान्तरण से रोकने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए बिना राजस्व रेकर्ड की जांच किए, जैर अपील आदेश पारित करते हुए राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने तथा बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है। अपीलाण्ट उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा रेकर्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटीपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का प्रत्युत्तर ही प्रस्तुत नहीं किया। जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 की पुश्तैनी भूमि है। अपीलाण्ट के पिता परिवार में. कर्ता खानदान थे, इस हैसियत से उक्त भूमि स्वयं के नाम आवंटन कर ली, जबकि मौके पर आज भी अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। इस अनुरूप खातेदारी घोषित कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यदि दौराने वाद अपीलाण्ट उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए बेचान हस्तान्तरकरण कर देते है, तो वाद बाहुल्यता होगी, जिससे रोकने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा खातेदारी घोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा उक्त वाद के समर्थन में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प सिरोही

किया। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट्स के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या उक्त भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी है, जिसमें अपीलाण्ट के साथ साथ रेस्पोडेन्ट्स का भी हक हिस्सा निहित है ? इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु यदि अपीलाण्ट राजस्व रेकर्ड में अपनां नाम दर्ज होने के कारण पर दौराने वाद वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करते है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। इस अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द करने का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2013 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही